तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 3556 / बीकानेर</u>** **धूड़नाथ बनाम डूंगरराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

<u>उपस्थित :–</u>
श्री रमजान मोहम्मद, अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित,

<u>दिनांक : 13 फरवरी, 2020</u>

<u>निर्णय</u>

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 25–2–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या–1 डूंगरराम ने दिनांक 18–4–1992 को खसरा नम्बर 730/975/2 तादादी रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया जो दिनांक 18–4–1992 को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 19–9–1992 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दी कि नये सिरे से जांच करें। उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर ने पत्रावली प्राप्त होने पर नये सिरे से जांच प्रारम्भ की। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर ने अप्रार्थी डूंगरराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 3556 / बीकानेर</u>** **धूड़नाथ बनाम डूंगरराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दोनों पक्षकारों को सुनकर अप्रार्थी डूंगरराम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया और प्रकरण का निस्तारण कर प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के गैर कानूनी आदेश दिनांक 19–1–2004 के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो दिनांक 25–2–2005 द्वारा संधारण योग्य नहीं मानते हुये खारिज कर दी गई। इस निर्णय दिनांक 25–2–2005 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। साथ में धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। 3– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई और एकपक्षीय बहस सुनी गई। 4– निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय दिनांक 19–1–2004 एवं 25–2–2005 न्याय, नियम व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। उनका यह भी कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय में अपील को संधारण योग्य नहीं मानते हुये खारिज की है मैरिट के आधार पर कोई निर्णय नहीं किया है बल्कि क्षेत्राधिकार होते हुये भी अपील संधारण योग्य नहीं मानते हुये खारिज की गई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय दिनांक 25–2–2005 व 19–1–2004 निरस्त किया जाये तथा अस्थाई निषेधाज्ञा को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 3556 / बीकानेर</u>** **धूड़नाथ बनाम डूंगरराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भी निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। 5– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। 6– सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निर्णय किया जा रहा है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 25–2–2005 के विरूद्ध निगरानी दिनांक 18–7–2005 को प्रस्तुत की गई है जो कि निर्धारित तिथि 25–5–2005 से लगभग दो माह के बाद प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण निगरानीकर्ता की पत्नी का बीमार रहना बताया है। प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ पत्र संलग्न किया है जबकि उक्त शपथ पत्र के विरूद्ध कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र के कथनों को असत्य मानने का कोई कारण नजर नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित विलम्ब के कारणों को संतोषजनक मानकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को शमित करना हम उपयुक्त समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को शमित किया जाता है। 7– प्रकरण के गुणावगुण पर जाने से ज्ञात होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर–730/975/2 रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा के संबंध में कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया है जिससे ज्ञात हो सके कि विवादित आराजी किसकी खातेदारी में है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर ने अपने निर्णय दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 3556 / बीकानेर</u>** **धूड़नाथ बनाम डूंगरराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

19–1–2004 में अंकित किया है कि **"प्रार्थी द्वारा जिस रिमाण्ड प्रकरण का सहारा लिया गया है वह मुताबिक रिकार्ड मंडी विकास समिति के नाम दर्ज है। मंडी को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही अपील में पक्षकार बनाया गया है।"** इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार न तो निगरानीकर्ता और न ही अप्रार्थी संख्या–1 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार हैं बल्कि विवादित भूमि के खातेदार **"मंडी विकास समिति"** है जिसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह आश्चर्यजनक है कि एक रिकार्डेड खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नहीं बना कर कोई अन्य व्यक्ति उस भूमि पर कानूनी लड़ाई लड़े तथा विचारण न्यायालय उस विवादित भूमि पर विधि के प्रावधानों को दरकिनार कर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रकरण के निर्णय होने तक कन्फर्म कर देता है। मंडी विकास समिति प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है और उसे पक्षकार बनाये बिना प्रकरण पोषणीय नहीं है इसके बावजूद अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म करके विचारण न्यायालय ने गंभीर त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने भी अपने निर्णय दिनांक 25–2–2005 द्वारा अपील खारिज कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि :–

> **"अतः अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने इसे सीपीसी की धारा–151 के तहत अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पारित किया है। सीपीसी के आदेश–43 नियम–1 में आदेशों की अपील में प्रावधान दिये गये हैं और इस प्रावधान के अनुसार धारा–10 के उपबंधों के अधीन जिन आदेशों की अपील होती है उसकी सूची दी हुई है, जिसमें धारा–151 को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि धारा–151 सीपीसी के अन्तर्गत पारित आदेश अपील योग्य नहीं है। अतः इस संबंध में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1के अधिवक्ता ने जो आपत्ति उठाई है उससे हम सहमत हैं।**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 3556 / बीकानेर</u>** **धूड़नाथ बनाम डूंगरराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलांट ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–225 के तहत प्रस्तुत की है और धारा–225 के तहत यह प्रावधित है कि तृतीय परिशिष्ट में उल्लेखित प्रकृति के आवेदन पत्र पर पारित अंतिम आदेश तथा ऐसे आदेश जो कि इस अधिनियम की धारा–212 एवं सीपीसी की धारा 104 में उल्लेखित है, के विरूद्ध अपील की जा सकती है। लेकिन अपीलान्ट का यह प्रकरण धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं आता है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने ''रामचन्द बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान'' 1976 आरआरडी पेज–423 में यह मत प्रतिपादित किया है कि धारा–151 सीपीसी के अधीन पारित आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–225 के तहत अपील योग्य नहीं है। हमारे समक्ष विचाराधीन अपील सीपीसी की धारा–151 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–225 के तहत प्रस्तुत की गयी है जो उक्त दृष्टान्त के प्रकाश में संधारण योग्य नहीं है। 8– यहां यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा–151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया था, न कि केवल धारा–151 सीपीसी के तहत। इसका उल्लेख विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 19–1–2004 में स्पष्ट रूप से किया है और प्रथम अपील में भी स्पष्ट किया है **''अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर दिनांक 19–1–2004 जिसके जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कन्फर्म दिनांक 14–7–2003 के आदेश को किया गया, को निरस्त किये जाने हेतु''** इस सबके बावजूद विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने उक्त प्रकरण को केवल धारा–151 सीपीसी के अन्तर्गत मानने में गंभीर त्रुटि कारित की है। चूंकि प्रार्थना पत्र धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया था और धारा–225(1)(ii) के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में प्रथम अपील करने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 3556 / बीकानेर</u>** **धूड़नाथ बनाम डूंगरराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रावधानों के विपरीत जाकर व धारा–151 सीपीसी लिखने मात्र से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का गलत निर्वचन कर निर्णय पारित किया है जो किसी भी दृष्टि से पोषणीय नहीं है।

9– अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये तीन सिद्धान्तों को साबित करना आवश्यक होता है। जब निगरानीकर्ता व अप्रार्थी संख्या–1 रिकार्डेड खातेदार ही नहीं है और **''मंडी विकास समिति''** रिकार्डेड खातेदार है तो अप्रार्थी संख्या–4 के पक्ष में किसी भी रूप से तीनों सिद्धान्त साबित नहीं होते हैं। **'मंडी विकास समिति'** को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसके बावजूद पहले एकतरफा स्थगन आदेश जारी करना व निर्णय दिनांक 19–1–2004 द्वारा उसे ताफैसला कन्फर्म करना विधि विरूद्ध निर्णय है जिसे निरस्त किया जाना बहुत ही आवश्यक है।

10– अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 25–2–2005 व विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर का निर्णय दिनांक 19–1–2004 निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**हरि शंकर गोयल**)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 2005 / 3556 / बीकानेर** **धूड़नाथ बनाम डूंगरराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए